कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– उ.आ.आ.,वृत्त–प्रथम / रा0आ0म0 / 2022–23 /5341 दिनांक :– 08.07.2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना जयपुर के सेक्टर–19 मे एस.एस. रेजीडेन्सी के बहुमंजिलीय फ्लेट्स के पंजीकरण हेतु खोली गई स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना वर्ष–2022 के पंजीकरण हेतु जारी ऑनलाईन आवेदन पुस्तिका मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

1. आवेदन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 08 के बिन्दु संख्या 09 पर ''राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारीगण जिन्होने पूर्व मे अपनी सेवाएं राजस्थान में दी हैं एवं वर्तमान मे अन्य प्रदेश / कैडर में सेवारत अधिकारियों को द्वितीय वरीयता दी जावेगी'' के प्रावधान को विलोपित किया जाता है।
2. आवेदन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 05 पर पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्तें के बिन्दु संख्या 1 के प्रावधानों मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

   यह योजना निम्नलिखित सेवारत एवं सेवानिवृत अधिकारियों के लिये हैं:–

   अ. राजस्थान सरकार की राज्यस्तरीय सेवाओं, राजभवन राजस्थान एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के सेवारत एवं सेवानिवृत अधिकारीगण।

   ब. केन्द्र सरकार के विभिन्न विभाग तथा केन्द्रीय निगम, बोर्ड एवं सार्वजनिक उपक्रम / बैंक / रेलवे के सेवारत एवं सेवानिवृत अधिकारीण।
3. आवेदन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 6 की तालिका–2 के क्रम संख्या 1 के प्रावधान मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

क्र.सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	संशोधन
1	जी–1	वैतनिक श्रेणी–प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड / निगम के कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी–द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी / अधिकारी)	**प्रथम वरीयता** :– राजस्थान सरकार की राज्यस्तरीय सेवाओं, राजभवन राजस्थान एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के सेवारत एवं सेवानिवृत अधिकारी। **द्वितीय वरीयता** :– केन्द्र सरकार के विभिन्न विभाग तथा केन्द्रीय निगम, बोर्ड एवं सार्वजनिक उपक्रम / बैंक / रेलवे के सेवारत एवं सेवानिवृत अधिकारी। (फ्लेटो का आवंटन वरीयता अनुसार किया जावेगा।)

उपरोक्त संशोधनों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त है।

8/7/22

उप आवासन आयुक्त,
वृत्त–प्रथम, रा.आ.म.
जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ –

1. निजीसचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियंता, खण्ड–बारह, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

8/7/22

उप आवासन आयुक्त